कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com

सेवा में,

पत्रांक– 1224 /

प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक
सभी सरकारी विद्यालय
जिला–वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक– 29/10/25

विषयः– विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों की कार्य की समीक्षा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अकित करना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा लगातार विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में पाई जाने वाली कमियों को सुधार करने हेतु अधोहस्ताक्षरी ज्ञापांक–1127 दिनांक–10.10.2025 के माध्यम से दिशा निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के क्रम में कोई अपेक्षित सुधार नहीं पाया जा रहा है। अभी भी विद्यालय में शिक्षक विभागीय नियमानुसार कक्षा का संचालन नहीं कर रहे हैं। विभागीय नियमानुसार शिक्षकों को अवकाश की स्वीकृति आपके द्वारा नही किया जा रहा है। कई ऐसे विद्यालय मिले जिसमें प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक को अवैतनिक अवकाश / चिकित्सा अवकाश / आकस्मिक अवकाश नियम के विरुद्ध स्वीकृत करते हुए शिक्षकों को विद्यालय छोड़ने की अनुमति दी गई है जिसके कारण पठन–पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। कई विद्यालय में कक्षा का संचालन शिक्षक करते हुए नहीं पाए गए हैं एवं अधिकांश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नामांकन की अपेक्षा उपस्थिति संतोषजनक नही पायी गई। शिक्षक के कमी रहने के बावजूद प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक कक्षा का संचालन नहीं कर रहे हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के क्रम मे छात्रों से अब तक पढ़ाए गए सिलेबस से पूछताछ करने पर अधिकांश छात्रों के द्वारा उत्तर नहीं दिया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा शिक्षकों के कार्यो की समीक्षा नहीं की जा रही है एवं शिक्षक के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को देने में रुचि नहीं ली जा रही है, जो अत्यंत खेदजनक है। विद्यालय में लाउडस्पीकर की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी पत्रांक–744 दिनांक–05.08.2025 के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है। सभी उच्चतर माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित संगीत के शिक्षकों को उनके जरूरत के अनुसार छात्र कोष से वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु कार्यालय पत्रांक–693 दिनांक–08.03.2025 के द्वारा निर्देश दिया गया था। सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कई बार पत्राचार किए जाने के बावजूद अधिकांश विद्यालय के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।

अतः स्मारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों के बीच वर्ग संचालन एवं नामांकन की अपेक्षा उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु वर्ग एवं समय निर्धारित करें एवं इसकी सूचना विद्यालय के सभी वर्ग कक्ष में प्रदर्शित किया जाए। शिक्षकों के द्वारा ली जाने वाली कक्षाओं में जाकर छात्रों से पूछताछ करें कि शिक्षक के द्वारा जो उनको पढ़ाया जा रहा है उनको समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। यह सुनिश्चित कर लें कि सभी शिक्षकों के द्वारा कक्षा लेने से पूर्व आज उनके द्वारा क्या पाठ पढ़ाया जाना है उसकी तैयारी कर ली गई है। शिक्षक की कमी रहने पर खुद कक्षा का संचालन करें एवं शिक्षक को अवकाश देने से पूर्व विभागीय नियम का अनुपालन करते हुए यह सुनिश्चित कर लें कि पठन–पाठन का कार्य प्रभावित नहीं हो। लाउडस्पीकर खराब है या उपलब्ध नहीं है तो कम्पोजिट ग्रांट / छात्र कोष से विद्यालय में लाउडस्पीकर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी उच्चतर माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय इंटरनेट एवं विद्यालय में पदस्थापित संगीत के शिक्षकों के लिए को उनके जरूरत के अनुसार छात्र कोष से वाद्य यंत्र का क्रय करते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त सभी निर्देशों का अनुपालन तत्परतापूर्वक करना सुनिश्चित करेंगे। लापरवाही की स्थिति में जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

29.10.25

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली